न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी
जी0आर0 केस सं0 2392/2019
नया जी0आर0 केस सं0 586/2025
(राज्य बनाम निरंजन यादव वगैरह)

07.07.2026 प्रस्तुत वाद के अभियुक्तगण **1.निरंजन यादव, 2.दिवाकर यादव, 3. उमा उर्फ उमी यादव, एवं 4.संजय यादव** की ओर से नवीन शक्तिपत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी एक प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्तगण निर्दोष व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण पूर्व से न्यायालय द्वारा जमानत पर है इनके विरूद्ध लगाये गये सभी धारा जमानतीय हैं। इस वाद में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध जमानती वारंट दिनांक 21.04.2026 को निर्गत किया गया है। वाद व्यवहार न्यायालय खगड़िया से अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में स्थानांतरण की सूचना अभियुक्त को नही मिली। सूचना के अभाव में हाजिरी पैरवी नहीं हो सका एवं जमानती वारंट जारी हो गया। आवेदकगण स्थानीय निवासी है इनके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध जमानती वारंट दिनांक 21.04.2026 को निर्गत किया गया है। वाद व्यवहार न्यायालय खगड़िया से अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में स्थानांतरण की सूचना अभियुक्त को नही मिली। सूचना के अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किया गया। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341,323,324,325,504,506/34 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को मो0 5000 रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ बंधपत्र दाखिल करने के पश्चात जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय में वाद निष्पादन तक प्रत्येक नियत तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी

पश्चात 07.07.2026 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त **1.निरंजन यादव, 2. दिवाकर यादव, 3.उमा उर्फ उमी यादव, एवं 4.संजय यादव** की ओर से जमानत आवेदन, घोषणा पत्र एवं आधार कार्ड, साथ ही जमानतदार की ओर से घोषणा पत्र, मालगुजारी रशिद, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है। जिसे जांचोपरांत सही पाकर बंधपत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी